आवेदन पत्र पत्र संख्या 11/2023
सम्मन आदि बनामसुरेशआदि
निर्णय दिनांक 20/7/2023

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 11/2023

GCMS NO- 2021/04

1. सम्मन पुत्र सरदारा उम्र 48 साल जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
2. बलबीर पुत्र सरदारा उम्र 58 साल जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
3. सोमवीर पुत्र जगराम नवीरा सरदारा उम्र 35 साल जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
4. चन्द्रो देवी पत्नी जयनारायण उम्र 70 साल जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
5. मुन्नी पुत्री जयनारायण उम्र 35 साल जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
6. प्रर्मिला पुत्री जयनारायण उम्र 3 साल जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
7. एलमकौर पत्नी धर्मवीर पुत्र वधु जयनारायण उम्र 40 साल जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
8. मनीता पुत्री धर्मवीर नवीरा जयनारायण जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
9. रविन्द्र पुत्र धर्मवीर नवीरा जयनारायण उम्र 24 साल जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
10. नेहा पुत्री धर्मवीर नवीरा जयनारायण उम्र 20 साल जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी ... झुंझुनूं (राज.)

– बनाम –

1. सुरेश पत्नी मानसिंह जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
2. विकाश पुत्र मानसिंह नवीरा सरदार जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
3. संगीता पुत्री मानसिंह नवीरा सरदारा जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
4. पूर्णमल पुत्र सरदारा जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:58:43 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति–

1. श्री मुकेश चौधरी, अधिवक्ता – आवेदक की ओर से ।
2. श्री राजेश यादव अधिवक्ता अनावेदकगण की ओर से ।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

आवेदन पत्र पत्र संख्या 11/2023
सम्मन आदि बनामसुरेशआदि
निर्णय दिनांक/ /2021

–:: निर्णय ::–

दिनांक –20/7/23

आवेदक की ओर से हस्तगत आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संक्षिप्ततः इन अभिवचनों के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि:–

1. यह कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त उनवानी प्रकरण श्रीमानजी मे पूर्व मे ही पेश कर रखा हैं जो विचाराधीन हैं जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी – पूरी गुंजाईश हैं।
2. यह कि ग्राम लालामण्डी पटवार हल्का उदामाण्डी तहसील बुहाना स्थित भूमी जमाबन्दी सवंत् 2075 से 2078 के हाल खाता स. 88 के ख.न. 151 रकबा 2.21 हैक्टर ख.न. 152 रकबा 2.24 हैक्टर ख.न. 200 रकबा 1.36 हैक्टर ख.न. 201रकबा 1. 49 हैक्टर ख.न. 263 रकबा 0.26 हैक्टर ख.न. 275 रकबा 0.12 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 7.65 हैक्टर भूमी मे संयुक्त खातेदार कास्तकार प्रार्थीगण का अप्रार्थी स. 1 लगायत 4 तथा दावे मे दर्ज प्रतिवादी स.1 तथा प्रतिवादी स. 7 से 12 दर्ज रिकॉर्ड हैं जिसमे प्रार्थी स. 1 का 4/63 हिस्सा प्रार्थी स. 2 के 4/63 हिस्सा प्रार्थी स. 3 का 4/63 हिस्सा प्रार्थी स. 4 से 6 के प्रत्येक के 1/63 , 1/63 हिस्ससा तथा 7 से 10 का 1/63 हिस्सा के रिकॉडेड खातेदार कास्तकार दर्ज रिकॉर्ड हैं अप्रार्थी स. 1 के 1/54 अप्रार्थी स. 2 का 1/54 अप्रार्थी स. 3 का 1/54 अप्रार्थी स. 4 का 4/63 हिस्सा हैं शेष हिस्सा प्रतिवादी स. 7 से 12 का दर्ज रिकॉर्ड हैं तथा प्रतिवादी स. 2 ने रिकॉर्ड मे दर्ज अपना हिस्सा प्रतिवादी स. 1 को बिना विभाजन करवाये बेचान कर दिया हैं।
3. यह कि प्रार्थना पत्र के खण्ड न. 2 मे वर्णित भूमी मे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज हैं जिसका विधिवत् बंटवारा नही हुआ हैं मौके पर अपने – अपने हिस्से की भूमी को सभी कास्त करते हैं ख.न. 151, 152 के पश्चिम मे कटानी रास्ता हैं तथा ख.न. 200 व 201 के दक्षिण मे कटानी रास्ता स्थित हैं तथा शेष भूमी भी संयुक्त खातेदारी मे दर्ज हैं जिसका विधिवत् बंटवारा नही हुआ हैं।
4. यह कि प्रतिवादी स. 2 द्वारा बिना विभाजन करवाये प्रतिवादी स.1 के हक मे गलत तरीके से अपने हिस्से मे दर्ज भूमी का विकय पत्र करवाने पर तथा प्रतिवादी स.1 द्वारा प्रार्थीगण को जबरन कब्जा करने की धमकी देने पर प्रार्थीगण द्वारा एक वाद घोषणात्मक खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का बउनवानी सम्मन आदि बनाम जसवीर आदि न्यायालय श्रीमानजी मे अपने हिस्से का विभाजन करवाने हेतु किया । जिसमे अप्रार्थी स. 1 से 4 की तामिल होने पर उन्होने अपना जवाब प्रस्तुत किया लेकिन अब अप्रार्थी स. 1 से 4 ने भी सरेआम धमकी देना शुरू कर दिया हैं कि वह बिना विभाजन करवाये ही रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्से को बेचान कर प्रार्थीगण की भूमी पर जबरन कब्जा करवायेगे । यदि अप्रार्थी स.1 से 4 बिना विभाजन करवाये प्रार्थीगण के कब्जे कास्त की भूमी का बेचान कर देते हैं तथा उक्त भूमाफिया केता जबरन कब्जा कर लेते हैं तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा मे मूल्याकन नही किया जा सकेगा । इसलिए अप्रार्थी स. [illegible] को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हैं कि [illegible] बेचान या किसी प्रकार से हस्तानान्तरण ना करे तथा [illegible] किसी भू[illegible] का कब्जा करवाये।
5. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 2 मे वर्णित भूमी मे प्रार्थीगण व अप्रार्थी स. 1 से 4 तथा दावे मे दर्ज प्रतिवादी स. 7 से 12 [illegible]त्रक भूमी हैं लेकिन मौके पर विधिवत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:58:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

रूप से विभाजन नही हुआ हैं इसका नाजायज फायदा उठाते हुए अप्रार्थी स. 1 लगायत 4 प्रतिवादी स. 2 के बहकावे मे आकर तथा प्रार्थीगण को उसके हिस्से से जबरन बेदखल करने के लिए किसी भूमाफिया को बेचान कर उनका कब्जा करवाने की धमकी दे रहे हैं ऐसी घटना पूर्व मे भी प्रतिवादी स. 2 द्वारा प्रतिवादी स.1 को बेचान करके कर चुका हैं यदि अप्रार्थी स.1 लगायत 4 दौराने वाद बेचान करके जबरन भूमाफिया का कब्जा प्रार्थीगण के हिस्से पर करवा देते हैं तो प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिकारो की सुरक्षा किया जाना असम्भव हो जायेगा इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हैं।

6. यह कि अप्रार्थी स. 1 से 4 ने गांव व बाहर ग्राहक तलाश करना शुरू कर दिया हैं तथा धमकी दे रहे हैं कि बिना विभाजन करवाये ही भूमी बेचान कर भूमाफियाओ का भूमी पर कब्जा करवायेगे। इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो जाता हैं कि वह अप्रार्थी स.1 से 4 को पाबंद करवाये कि वो बिना विभाजन करवाये वाद वर्णित भूमी का बेचान ना करे यदि दौराने वाद अप्रार्थी स.1 से 4 द्वारा भूमी का बेचान कर दिया जाता हैं अनावश्यक की मुक्दमेबाजी बढेगी व मौके पर लड़ाई झगड़ा होने से भी इन्कार नही किया जा सकेगा।

7. यह कि प्रार्थना पत्र के खण्ड न. 2 मे वर्णित भूमी प्रार्थीगण व अप्रार्थी स.1 लगायत 4 व दावे मे दर्ज प्रतिवादी स. 7 से 12 की पैत्रक भूमी हैं जो उनको विरास्तन प्राप्त हुई हैं इसलिए बिना विधिवत विभाजन करवाये अप्रार्थीगण को उक्त भूमी को बेचान करने का अधिकार नही हैं पूर्व मे ही प्रतिवादी स. 2 द्वारा प्रतिवादी स. 1 के हक मे विक्रय पत्र करने से विवाद की स्थिति बनी हुई हैं ऐसी स्थिति मे अप्रार्थी स. 1 लगायत 4 जब तक विभाजन नही हो जाता हैं तब तक वाद वर्णित भूमी को बेचान करने का उनको कोई अधिकार नही हैं इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला हैं तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे हैं।

8. यह कि प्रार्थना पत्र निर्धारित शुल्क पर प्रस्तुत हैं।

9. यह कि प्रार्थना पत्र के समर्थन मे प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न हैं।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि –

(क). कि अप्रार्थी स.1 लगायत 4 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जावे कि वाके ग्राम लालामाण्डी पटवार हल्का उदामाण्डी तहसील बुहाना स्थित भूमी जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के हाल खाता स. 88 के ख.न. 151 रकबा 2.21 हैक्टर ख.न. 152 रकबा 2. 24 हैक्टर ख.न. 200 रकबा 1.36 हैक्टर ख.न. 201 रकबा 1.49 हैक्टर ख.न. 263 रकबा 0. 26 हैक्टर ख.न. 275 रकबा 0.12 हैक्टर कुल किता 6 रकबा 7.65 हैक्टर मे जब तक विधिवत् रूप से विभाजन ना हो जब तक किसी अन्य को बेचान , दान , तथा हस्तानान्तरित ना करे तथा प्रार्थीगण के कब्जा कास्त मे किसी प्रकार की दखलदांजी ना करे ऐसा ना स्वयं करे तथा ना ही अपने किसी परिचित से करवाये।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई जिसमें से श्री राजेश यादव अधिवक्ता अनावेदकगण की ओर से उपस्थिति दर्ज करवाकर जवाब इन तथ्यो के साथ प्रस्तुत किया कि

1. यह कि प्रार्थी/ आवेदक द्वारा वाद पत्र ... जाना तो स्वीकार है लेकिन आवेदकगण को सफलता मिलने की ...

2. यह कि आवेदन पत्र के खण्ड सं. 2 में भूमि ... खसरा नम्बर एवं रकबा स्वीकार है। अनावेदक संख्या 2 द्वारा अनावेदक संख्या 1 को अपनी सम्पूर्ण हिस्सा जरिए पंजिकृत विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा देना स्वीकार है। अनावेदक संख्या 1 ने अपने पिता की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:58:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 154 के साथ सटकर कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा पहले अनावेदक संख्या 2 का खसरा नम्बर 154 से सटकर खसरा नम्बर 152 पर कब्जा था जो अनावेदक संख्या 2 ने अनावेदक संख्या 1 को दे दिया है, जिसमें अनावेदक संख्या 1 ने अनावेदक संख्या 2 की कपास की फसल को प्राप्त किया है। इसलिए आवेदक द्वारा अनावेदक संख्या 1 का कब्जा नहीं होना गलत दर्ज किया गया है।

3. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड संख्या 3 गलत होने से स्वीकार नहीं है। भूमि का बाहमी बंटवारा तो है क्योकि जैसे जैसे खातेदार अलग–अलग परिवारों में बंटते गये वैसे–वैसे भूमि का भी मौके पर विभाजन करते जो अनावेदक संख्या 2 के हिस्से में खसरा नम्बर 152 का उतरी हिस्सा बाहमी बंटवारा में आया था तो उसमें अनावेदक संख्या 1 को बेचान कर कब्जा दे दिया है। अब खसरा नम्बर 152 का उतरी हिस्सा बाहमी बंटवारा में आया था तो उसमें अनावेदक संख्या 1 को बेचान कर कब्जा दे दिया है। अब खसरा नम्बर 152 के उतरी भाग पर अर्थात खसरा नम्बर 154 से सटकर अनावेदक संख्या 1 का कब्जा है। अनावेदक संख्या 1 ने यह भूमि खरीदी भी इसलिए थी कि उनकी स्वयं की भूमि खसरा नम्बर 154 के साथ मिलाकर व अपनी भूमि को कास्त कर सके सिंचाई कर फसल काश्त कर सके क्योंकि अनावेदक संख्या 1 के पिता की खातेदारी की भूमि में कूप एवं विधुत कनेक्शन भी लगा हुआ है एवं इसी उद्देश्य से यह भूमि खरीद की है। अनावेदक संख्या 2 खसरा नम्बर 154 से सटकर खसरा नम्बर 152 पर कब्जा था जो उसने अनावेदक संख्या 1 को बेचान कर कब्जा दे दिया है।

4. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड संख्या 4 जिस भांति दर्ज है गलत होने से स्वीकार नहीं है। अनावेदक संख्या 1 ने अनावेदक संख्या 2 का 4/63 हिस्सा पंजिकृत विकय पत्र से खरीद किया है। खसरा नम्बर 154 से सटकर खसरा नम्बर 152 को अनावेदक संख्या 1 ने खरीदा ही इसलिए है कि खसरा नम्बर 152 को खसरा नम्बर 154 के साथ मिलाकर काश्त किया जा सके एवं सिंचाई कर सके। अनावेदक संख्या 1 अजनबी नहीं है बल्कि खेत पड़ौसी घर पड़ौसी है एवं मौके पर स्वयं आवेदक ने भी परस्पर बाहमी बंटवारा होना स्वीकार किया है। जब बाहमी बंटवारा मौके पर है तो अजनबी होने का तथ्य सरासर गलत है। आवेदक ने सभी तथ्य झूंठे पेश किए हैं एवं नजरी नक्शा भी गलत पेश किया है। सही नजरी नक्शा जवाबदावा एवं प्रतिदावा के साथ पेश है।

5. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड संख्या 5 गलत होने से स्वीकार नहीं हैं। अनावेदक संख्या 1 अपने 4/63 हिस्सा का खाता विभाजन हेतु प्रतिदावा पेश किया जा चुका है जो लम्बित हैं एवं खसरा नम्बर 152 में उतरी तरफ खसरा नम्बर 154 के सहारे सहारे अपने हिस्से की व कब्जा की भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

6. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड संख्या 6 गलत होने से स्वीकार नहीं है। अनावेदक संख्या 2 ने अनावेदक संख्या 1 को भूमि बेचान की उसका नामान्तकरण दर्ज हो चुका है एवं अनावेदक संख्या 1 भी आवेदक एवं अन्य प्रतिवादीगण की तरह से अपने हिस्से की भूमि का खातेदार है एवं अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। शेष तथ्य गलत होने से स्वीकार नहीं हैं।

7. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड संख्या 7 गलत होने से स्वीकार नहीं है। अनावेदक संख्या 2 ने 4/63 हिस्सा का जो बेचान किया है उस पर अनावेदक संख्या 1 शांतिपूर्वक काबिज है। आवेदक या किसी भी अन्य को अनावेदक ... अपने हिस्से की भूमि के कब्जा काश्त में बाधा कारित करने का हक व अधिकार ... है। जहां तक विभाजन का प्रश्न है अनावेदक संख्या 1 भी अपने हिस्से के विभाजन हेतु प्रतिदावा अलग से पेश कर रहा है एवं अपने हिस्से का मुताबिक ... करवाना चाहता है। एवं ना तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:58:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

आवेदकगण का यह प्रथम दृष्टया केश हैं एव ना ही सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष मे हैं।

8. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड संख्या 8कोर्ट फीस सम्बधि होने से स्वीकार हैं।

9. यह कि प्रार्थी ने गलत प्रार्थना पत्र पेश किया हैं खण्डन मे जवाबदाता का शपथ पत्र पेश हैं।

अतिरिक्त उतर –

10. यह कि अनावेदकगण खातेदार हैं किसी खातेदार को अपने हिस्से का बेचान करने से नही रोका जा सकता हैं बल्कि राज. कास्त अधिनियम की धारा 41 में खातेदार को अपने खातेदारी अधिकारो का हस्तानान्तरण करने का अधिकार प्राप्त हैं इसलिए कानून के खिलाफ किसी खातेदार को खातेदारी अधिकारो के हस्तानान्तरण से नही रोका जा सकता हैं इसलिए यह आवेदन पत्र खारीज किये जाने योग्य हैं।

(4) प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2075–78 खाता संख्य 88 प्रति पेश की गई।

(5) बहस उभय पक्षकारान विस्तार से सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अनुसरण किया गया।

(5). प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि– प्रश्नगत वाद वर्णित भूमि पक्षकारान की सह खातेदारी की भूमि है। इस भूमि पर पक्षकारान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगा के हिस्से की भूमि का अभी तक बंटवारा नही किया है। लेकिन प्रश्नगत भूमि का अभी तक विधिवत् बंटवारा नही हुआ है। भूमि समस्त पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दर्ज विधि के द्वारा सुस्थापित प्रावधानों के अनुसार इस प्रश्नगत भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे कास्त वाली भूमि पर जबरन कब्जा कर कास्त/निर्माण कार्य करने की धमकी देने लगे है। अप्रार्थीगण यह भी धमकी दे रहे है कि प्रार्थीगण के कब्जे कास्त वाली भूमि पर जबरन कब्जा कर किसी दीगर व्यक्ति को बेचान करेंगें। यदि अप्रार्थीगण बिना खाता विभाजन करवाये प्रार्थीगण के कब्जे कास्त वाली भूमि को बेचान कर देते है तो प्रार्थीगण को ऐसी क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसलिये प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो जाता है वो अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि वो जब तक वाद वर्णित भूमि का विभाजन न हो तब तक प्रार्थीगण के कब्जे कास्त वाली भूमि में दखलअंदाजी ना करे व ना ही किसी को रहन बेचान करे व ना ही कोई निर्माण कार्य करे।

(6) अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया की – विवादित भूमि पर काबिज काश्त होना स्वीकार है। उक्त विवादित भूमि में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण का संयुक्त रूप से हिस्से दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमियों भी पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी है तथा पक्षकारान का अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज कास्त है। प्रार्थीगण वाद पत्र में विरोधाभासी तथ्य दर्ज कर रहे है प्रार्थीगण एक तरफ तो वादपत्र में पक्षकारान का विवादित भूमियों का पारस्परिक सहमती से मींट्स एण्ड बाऊण्ड्स विभाजन होना मानकर उन पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त होना दर्ज कर रहें है वही दूसरी तरफ विधि अनुसार विवादित भूमि का बंटवारा नही होना दर्ज करते है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण से कोई रंजिश नही रखता है। विवादित भूमियों का पक्षकारान ने मौके पर मींट्स एण्ड बाऊण्ड्स विभाजन कर रखा है तथा वे अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज कास्त है। भूमि का बाहमी बंटवारा ... खातेदार अलग–अलग परिवारों में बंटते गये वैसे–वैसे भूमि का भी मौके पर वि... जो अनावेदक संख्या 2 के हिस्से में खसरा नम्बर 152 का उतरी हिस्सा बाहमी बंटवारा में ... था तो उसमें अनावेदक संख्या 1 को बेचान कर कब्जा दे दिया है। ... बाहमी बंटवारा में आया था तो उसमें अनावेदक संख्या 1 को ... दिया है। अब खसरा नम्बर 152 के उतरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:58:43 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

भाग पर अर्थात खसरा नम्बर 154 से सटकर अनावेदक संख्या 1 का कब्जा है। अनावेदक संख्या 1 ने यह भूमि खरीदी भी इसलिए थी कि उनकी स्वयं की भूमि खसरा नम्बर 154 के साथ मिलाकर व अपनी भूमि को कास्त कर सके सिंचाई कर फसल काश्त कर सके क्योंकि अनावेदक संख्या 1 के पिता की खातेदारी की भूमि में कूप एवं विधुत कनेक्शन भी लगा हुआ है एवं इसी उद्देश्य से यह भूमि खरीद की है। अनावेदक संख्या 2 खसरा नम्बर 154 से सटकर खसरा नम्बर 152 पर कब्जा था जो उसने अनावेदक संख्या 1 को बेचान कर कब्जा दे दिया है। अप्रार्थीगण को विवादित भूमियों से अपने हिस्से को बिना विभाजन करवाये बिक्री करने का कानूनी रूप से पूर्ण अधिकार है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि को भू–माफियों को किस प्रकार बिक्री की नही कर रहा है।

(7) प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये तीन आवश्यक विचारणीय बिन्दुओं पर गौर किया गया है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण (Prima facie Case):–**
2. **सुविधा का सन्तुलन–**
3. **अपूर्तनीय क्षति–**

दोनो विद्वान अधिवक्ता को सुने के उपरान्त प्रश्नगत भूमि का बाहमी बंटवारा हो रखा है किन्तु विधिवत् बंटवारा नही हुआं है। जब तक विधिवत् बंटवारा नही होता है तब तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है।

इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों ही बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में बनते है तथा प्रार्थीगण के विरूद्व पाये जाते है। ऐसी स्थिति में यह आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार योग्य है।

आदेश

प्राथीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणनीय नही से खारीज किया जाता है।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,बुहाना

निर्णय आज दिनांक 20/7/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:58:43 IST
Reason: SelfAttested